UPUN010035112026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1471/2026

मो0 मन्जूर रजा पुत्र मो0 हफराज निवासी कुसेन्डा थाना प्राणपुर जिला कटिधर राज्य बिहार। ....अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) उन्नाव। ..... विपक्षी।

दिनांकः–15.06.2026

अभियुक्त मो0 मन्जूर रजा ने, यह जमानत प्रार्थना–पत्र मु0अ0सं0–17/2026, धारा–87,137(2) बी.एन.एस. थाना मौरावां जिला उन्नाव, में प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा परमेश्वर ने इस आशय की तहरीर थानाध्यक्ष मौरावां को दी कि दिनांक 16.01.2025 को दिन में 16.01.2025 को दिन में करीब 4 बजे उसकी पुत्री हिमांशी उम्र करीब 16 वर्ष से अकोहरी चौराहे पर छोटू सिंह निवासी ग्राम अकोहरी के दूकान पर पैसा निकलवाने गयी थी। छोटू सिंह के ही मोबाइल नं0 6392367163 पर मो0नं0 9355705095 से गूगल पे के जरिए 3000/– रूपया मंगवाया, उसके बाद से उसकी पुत्री वापस घर नहीं आयी, कहीं लापता होगयी। काफी तलाश किया, किन्तु पता नहीं चला। निवेदन है कि कार्यवाही करने कृपा करें।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। वह किसी लड़की को बहला फुसला कर भगा कर नहीं ले गया और न ही शादी के लिए विवश किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन बाद विलम्ब से लिखाई गयी है। उसके पास से लड़की बरामद नहीं हुई है। वह दिनांक 24.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व प्रार्थी द्वारा कोई भी प्रार्थनापत्र न तो इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। अतः उसके द्वारा जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष का तर्क है कि अभियुक्त वादी मुकदमा की पुत्री को उसकी विधि पूर्ण संरक्षिकता से भगा कर ले गया और विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए व्यपहृत किया गया है। पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी और उसकी उम्र घटना के समय 16 वर्ष बतायी गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.15 17:57:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे फर्जी फंसाया गया है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में उसके विरूद्ध कोई बयान नहीं दिया है। पीड़िता ने स्वयं अपने घर से भागना कर उसके घर आना बताया है। पीड़िता के बयान के अनुसार उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। वह दिनांक 18.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि '' मैं मोहन के साथ रहना चाहती हूॅ। मैं उसे 2 साल से जानती हूॅ। मैं मोहन से प्यार करती है। मोहन मुझे जबरदस्ती शादी के लिए भगा के नहीं ले गया था, न ही उसने कोई गलत काम किया। मैं अपनी मर्जी से 23.04.2026 को मोहन के घर गयी थी। उसी से आगे जाके शादी करना चाहती है।''

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्यात आधार है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मोहन द्वारा मु0अ0सं0– 146/2026, धारा– 87,137(2) बी.एन.एस. थाना मौरावां जिला उन्नाव, में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र 1379/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

<u>दिनांकः–30.05.2026</u>
बृजपाल

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव
जेओ कोड यूपी 6552